संख्या-07 /2023/I/265297/2023/003-71-2099-633-2021

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 23 जनवरी, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ परिसर में नेफ्रोलाजी विभाग में पेयजल तथा डायलिसिस के लिए आर0ओ0 प्लान्ट की स्थापना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/एन0बी0-113/2020/03/2022, दिनांक 05.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान परिसर में नेफ्रोलाजी विभाग में पेयजल तथा डायलिसिस हेतु आर0ओ0 प्लान्ट की स्थापना हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि विषयगत परियोजना हेतु शासनादेश दिनांक 31.03.2021 द्वारा रू0 1710.24 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये प्रथम किश्त की धनराशि रू0 100.00 लाख तथा शासनादेश दिनांक 10.02.2022 द्वारा प्रथम किस्त की अवशेष धनराशि रू0 327.56 एवं शासनादेश दिनांक 18.08.2022 द्वारा द्वितीय किश्त रू0 427.56 लाख तथा शासनादेश दिनांक 21.11.2022 द्वारा तृतीय किश्त की धनराशि रू0 427.56 लाख अर्थात कुल रू0 1282.68 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में संस्थान परिसर में नेफ्रोलाजी विभाग में पेयजल तथा डायलिसिस हेतु आर0ओ0 प्लान्ट की स्थापना हेतु चतुर्थ किश्त की धनराशि रू0 342.05 लाख (रूपये तीन करोड बयालिस लाख पॉच हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

1. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद/ हेतु निर्गत की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य मद हेतु/ किया जायेगा। अन्य कार्य हेतु व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, संस्थान की होगी।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैक खाते में नहीं रखा जायेगा।
5. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज देय होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर के अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. शासनादेश संख्या-43/2021/942/71-2-2021-03/2021, दिनांक 31.03.2021 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,42,05,000 (रुपये तीन करोड़ बयालीस लाख पांच हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-07 /2023/।/265297/2023/003-71-2099-633-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (सिविल आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धकपरियोजना प्रबन्धक/, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0 लखनऊ।
9. वित्त ई-3/वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in